राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3788/2025

श्रीमती अंजू रावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्री दीपक कुमार सिंघल, प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर से प्रधानाचार्य एवं समकक्ष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Payega, टोंक, जिला टोंक किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.02.2006 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कल्याणपुरा भिनाय, अजमेर में हुई थी, तत्पश्चात् उसे व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 28.05.2019 के द्वारा उसे जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, जयपुर से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर पदस्थापित किया गया और

आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर से प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पायेगा, जिला टोंक कर दिया गया तथा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा पदस्थापित किया गया। इस प्रकार समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उक्त आलोच्य आदेश पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरण क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(3) के विपरीत जारी किया गया है। आलोच्य आदेश स्थानांतरण आदि पर जारी प्रतिबंध के बावजूद जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 एवं 04.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी राज सेवक का पद धारित करती है और प्रशासनिक आवश्यकता में राज्यहित/छात्रहित में पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित होकर आये अन्य कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है और स्थानांतरण आदेश उपरांत दिनांक 04.08.2025 को कार्यमुक्त भी किया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 495/2020 निदेशक माध्यमिक शिक्षा बनाम श्रीमती स्वाति भटनागर को खंडपीठ के आदेश दिनांक 02.09.2020 के द्वारा स्थगन आदेश को अपास्त फरमाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष वर्तमान प्रकरण में अनुतोष को पाने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 12.09.2006 से जुलाई, 2013 तक खानिया, जयपुर में जुलाई, 2013 से जुलाई, 2015 तक प्रधानाचार्य के पद पर पुराना आमेर, जयपुर में सितम्बर, 2015 से अक्टूबर, 2016 तक तथा उसके पश्चात् जयपुर में ही सतत् शिक्षा अधिकारी के पद पर मई, 2019 तक तथा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 28.05.2019 से लगातार कार्यरत है। अपीलार्थी उदयपुर शहर में करीब 7 वर्ष से अधिक समय हो

चुका है और वर्ष 2006 से 2015 तक जयपुर में ही पदस्थापित रह चुकी है और इस प्रकार एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में करने का अधिकार मूल विभाग को है और इस प्रकार अपीलार्थी का किया गया स्थानांतरण नियमानुसार है। माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि स्थानांतरण कार्मिकों के संबंध में मंत्री महोदय की सहमति से किये गये स्थानांतरण आदेशों में पंचायती राज विभाग की भी सहमति मानी जायेगी। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर से प्रधानाचार्य एवं समकक्ष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Payega, टोंक, जिला टोंक किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.02.2006 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कल्याणपुरा भिनाय, अजमेर में हुई थी, तत्पश्चात् उसे व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 28.05.2019 के द्वारा उसे जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, जयपुर से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर पदस्थापित किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर से प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पायेगा, जिला टोंक कर दिया गया तथा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदस्थापित करते हुये आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी राज्य सेवा का पद धारित करती है और प्रशासनिक आवश्यकता में राज्यहित/छात्रहित में पदस्थापन/स्थानांतरण किया गया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश माननीय मंत्री महोदय को भी प्रतिलिपि दी गई है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त आदेश बिना सहमति के जारी किया गया है। अपीलार्थी काफी लम्बे समय से जयपुर में कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का

कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें जनहित/छात्रहित में कहां पर ली जानी हैं। इस प्रकार हम उक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य